1.50

वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट–जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण। (4.505है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग शासनादेश सं0 289/III(2)/08–47(प्रा.आ.)/07 दिनांक 20.03.2008 द्वारा 15.00 किमी. लम्बाई हेतु रू0 579.69 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गांवों की जनता को यातायात की सुविध उपलब्ध होगी। इस मार्ग के निर्माण से उपरोक्त गावों की जनता को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के साथ–साथ रेल हैड काठगोदाम से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी। इस हेतु वन पंचायत भूमि 3.395 है0 बेनाप राज्य वन भूमि 1.110है0 इस प्रकार कुल 4.505 है0 वन भूमि की आवश्यकता पडेगी। इस प्रकार कुल 4.505 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्ताव का गठन जनहित में किया जा रहा है।

खण्डीय अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Ameen prativadan/arvind